

8/2/20

पशावली पेशी में ली गयी वाडी का कि
प्रस्ताव पर सुना गया। वाड पर सुना
विभाजन प्रस्ताव डिक्की किया जाता
पचा डिक्की जारी हो। पशावली बाक
तरकीब व तकमील के काविय
कपल की जाती है आडिये सुनाय

गया

सहायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
लुम्मानगढ़

डिफ्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- (मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए. 1955

प्रकरण संख्या:- 150/2024

रामस्वरूप पुत्र स्व. बीरबलराम, शान्ति देवी पत्नी स्व. रामकरण जाट मियासी चक 8
डीएलपी तहसील व जिला हनुमानगढ

-:वादी

बनाम

- 1 प्रेम कुमार पुत्र श्री मंगतराम जाति बांठिया निवासी वार्ड नं.14 ठकूर जी मन्दिर के पास धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ
- 2 पवन कुमार पुत्र स्व. कंवरलाल जाति बांठिया गुड़गाँव मकान नं 707 प्रथम तल ए-फ्लोर सैक्टर नं 9 नियर ई.एस आई. सी. अस्पताल गुड़गाँव पिन काड 122001
- 3 विकास कुमार पुत्र स्व. कंवरलाल जाति बांठिया गुड़गाँव मकान नं 707 प्रथम तल ए-फ्लोर सैक्टर नं 9 नियर ई.एस आई. सी. अस्पताल गुड़गाँव पिन काड 122001
- 4 सुशीला पत्नी स्व. कंवरलाल जाति बांठिया गुड़गाँव मकान नं 707 प्रथम तल ए-फ्लोर सैक्टर नं 9 नियर ई.एस आई. सी. अस्पताल गुड़गाँव पिन काड 122001
- 5 बालूराम पुत्र कालूराम जाति बांठिया जाति बांठिया निवासी वार्ड नं 14 ठकूर मन्दिर के पास धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ
- 6 अरविन्द पुत्र भैराराम जाति बांठिया निवासी वार्ड नं 14 ठकूर मन्दिर के पास धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ
- 7 सुनिल कुमार पुत्र मोहनलाल जाति बांठिया निवासी वार्ड नं 14 ठकूर मन्दिर के पास धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ
- 8 फुसराज पुत्र रुकमा देवी पत्नी चुन्नीलाल निवासी बारपीतारोड़, दूरंगाबाडी काली बाड़ी जी. सी. काम्पलेक्स श्री भीक्षु टेक्सटाईल्स तहसील व जिला तनसुखिया (आसाम) 786125
- 9 राकेश पुत्र रुकमा देवी पत्नी चुन्नीलाल निवासी बारपीतारोड़, दूरंगाबाडी काली बाड़ी जी.सी. काम्पलेक्स श्री भीक्षु टेक्सटाईल्स तहसील व जिला तनसुखिया (आसाम) 786125
- 10 प्रकाश पुत्र रुकमा देवी पत्नी चुन्नीलाल निवासी बारपीतारोड़, दूरंगाबाडी काली बाड़ी जी.सी. काम्पलेक्स श्री भीक्षु टेक्सटाईल्स तहसील व जिला तनसुखिया (आसाम) 786125
- 11 प्रेम पुत्र रुकमा देवी पत्नी चुन्नीलाल निवासी बारपीतारोड़, दूरंगाबाडी काली बाड़ी जी.सी. काम्पलेक्स श्री भीक्षु टेक्सटाईल्स तहसील व जिला तनसुखिया (आसाम) 786125
- 12 तेजसिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावांली वार्ड 2 तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 13 अजमेर सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावांली वार्ड 2 तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 14 बटेशीश सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावांली वार्ड 2 तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 15 बिल्लू सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी खडिया तहसील लम्बी जिला मुक्तसर पंजाब

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

- 4
- 16 महेन्द्र कौर पुत्री करतार सिंह पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक हिरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
 - 17 रामदेव पुत्र मोहनलाल पुत्र इंगरमल दुकान नं. 53 पुरानी धान मंडी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
 - 18 चेनाराम पुत्र इंगरमल दुकान नं. 53 पुरानी धान मंडी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
 - 19 प्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक शाखा धोलीपाल जिला हनुमानगढ़
 - 20 स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़
- :प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे देवीलाल भांभू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व राजपैरोकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:- इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.09.2025 की पालना में तहसीलदार हनुमानगढ़ के पत्रांक भू.अ./3692 दिनांक 31.10.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर वादीपक्ष को सुना गया। वाद पत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव चक 8 डीएलपी तादादी 6.325 हैक्टेयर में निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है कि:- वादी रामस्वरूप, शान्ति देवी का ब.हि.ब. विभाजन में प्राप्त हिस्सा- प.न. 130/190 मु.न. 32 कि.न. 24, 25 प.न. 130/191 मु.न. 37 कि.न. 5 ता 8, 13 ता 18, 24, 25/3/036, प.न. 131/190 मु.न. 33 कि.न. 14, 17 ता 24 प.न. 131/192 मु.न. 44 कि.न. 1, 2 महायोग 6.325 हैक्टेयर। उक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदगी कर लगाम कायम किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 08.12.2025 को जारी किया गया।

नोट:- डिक्रीत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावें।


 (मांगी लाल)
 सहायक कलेक्टर
 एवं उपखण्ड अधिकारी
 हनुमानगढ़